


उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-625/2016/1677/69-1-2016-21(म0ब0-83)/2016
लखनऊ : दिनांक: २० सितम्बर, 2016

शुद्धि-पत्र

"शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलकिंग रोड, नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर की 63 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-542/2016/1677/69-1-16-21(म0ब0-83)/2016, दिनांक 10.08.2016 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-32 के स्तम्भ-5 में ₹0 12.69 लाख व क्रमांक-36 के स्तम्भ-6 में ₹0 17.195 लाख त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए उसके स्थान पर तालिका के क्रमांक-32 के स्तम्भ-5 में ₹0 12.59 लाख व क्रमांक-36 के स्तम्भ-6 में ₹0 17.165 लाख अंकित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2. उक्त शासनादेश संख्या-542/2016/1677/69-1-16-21(म0ब0-83)/2016, दिनांक 10.08.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।


(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।


संख्या-625/2016/1677(1)/69-1-2016, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, विविल लाइन, इलाहाबाद।
4. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ
5. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।




आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।


31/09/16

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
 15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०यू०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-00-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016 दिनांक 29.08.2016 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-626/2016/2071(1)/69-1-16 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।